भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1413
जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता

1413. श्री डी. के. सुरेश :

श्री एस. जगतरक्षकन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कॉलेजियम प्रणाली के गठन में पारदर्शिता के मुद्दे को मजबूती से उठाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कॉलेजियम प्रणाली का पुनर्मूल्यांकन करने और इसकी खामियों को दूर करने का है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह वास्तव में लोगों की इच्छा को प्रतिबिंबित करती है और राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने कोलेजियम प्रणाली द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति अथवा पदोन्नति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : सरकार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को अधिक व्यापक, पारदर्शी, जवाबदेह बनाने और प्रणाली में निष्पक्षता लाने के लिए, दिनांक 13.04.2015 से संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014 प्रवृतन में लायी थी । हालाँकि, दोनों अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी । उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16.10.2015 के निर्णय के माध्यम से दोनों अधिनियमों को असंवैधानिक और शून्य घोषित कर दिया था । संविधान (निन्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवृत होने से पूर्व विद्यमान कॉलेजियम प्रणाली को प्रभावी घोषित किया गया था ।

इसके पश्चात्, उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 16.12.2015 के आदेश के जरिए सरकार को पात्रता मानदंड, पारदर्शिता, सचिवालय की स्थापना और शिकायतों से निपटने के तंत्र को ध्यान में रखते हुए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के परामर्श से विद्यमान एमओपी को अंतिम

रूप देने का निर्देश दिया था । भारत सरकार ने उचित विचार-विमर्श के पश्चात्, विद्यमान एमओपी में प्रस्तावित बदलाव और एमओपी का प्रारूप दिनांक 22.03.2016 के पत्र के माध्यम से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजा था । उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) की प्रतिक्रियाएं 25.05.2016 और 01.07.2016 को प्राप्त हुईं थी। एससीसी के विचारों के जवाब में सरकार की टिप्पणियों से 03.08.2016 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराया गया था। एससीसी ने 13.03.2017 को एमओपी के प्रारूप पर सरकार के विचारों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रदान की थी । न्यायाधीशों की नियुक्ति में शामिल मुद्दों को हल करने के सुझावों के साथ सरकार के रुख को सचिव (न्याय) के दिनांक 11.07.2017 के पत्र के माध्यम से उच्चतम न्यायालय के महासचिव को अवगत कराया गया था । नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने एक खोज-सह-मूल्यांकन समिति की स्थापना करके अधिक मजबूत मूल्यांकन प्रक्रिया की आवश्यकता पर जोर दिया था । भारत के मुख्य न्यायामूर्ति को दिनांक 06.01.2023 के अपने हालिया पत्र में, सरकार ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के मद्देनजर एमओपी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है । दिनांक 6.01.2023 के पत्र में सरकार ने उच्चतम न्यायालय से फिर अनुरोध किया कि संवैधानिक न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष, प्रतिनिधिक और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर भेजे गए विभिन्न सुझावों पर विचार किया जाए ।

****